



**मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद**  
 (मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन पंजीकृत रांथा)  
 ब्लाक-1, पर्यावास भवन, अरेसा हिल्स, भोपाल  
 (मुख्य वार्यालय- 59, अरेसा हिल्स, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, भोपाल)

क्रमांक / ५६५ / MGNREGS-MP/NR-3/Q.C./2012      भोपाल, दिनांक: १६ जनवरी, 2012

प्रति,

श्री .....

राज्य गुणवत्ता मॉनीटर,  
महात्मा गांधी नरेगा-म.प्र.

विषय : राज्य गुणवत्ता मॉनीटर द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण ;

संदर्भ : परिषद् कार्यालय का आदेश क्र. 103 // 2011 दिनांक 04.01.2012

—00—

गाह जनवरी में रांदर्भित आदेशानुसार राज्य गुणवत्ता मॉनीटर द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण का विवरण नीचे दिया गया है। इस निरीक्षण में निम्नानुसार कार्यवाही की जाएः-

- 1 ये निरीक्षण, महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत राज्य रत्तर पर गुणवत्ता मॉनीटर के दिशा निर्देश के प्रारूप के अनुसार किए जायेंगे।
- 2 सभी गुणवत्ता मॉनीटर इन दिशा निर्देशों को गंभीरता से अध्ययन करें एवं अपने निरीक्षण इन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार सम्पन्न करें।
- 3 रमरण रहे कि निरीक्षण के लिए प्रत्येक फॉरमेट बहुत सावधानी के साथ डिजाइन किए गए हैं। प्रत्येक गुणवत्ता मॉनीटर इन फॉरमेट्स को पूरी सावधानी से भरेंगे।
- 4 सभी मॉनीटर्स अपनी रिपोर्ट में संलग्न प्रारूप दिशा निर्देश एवं फॉरमेट्स के विषय पर उनकी राय पृथक से टीप के रूप में रिपोर्ट की उस प्रति में देंगे जो प्रति परिषद को उपलब्ध करायी जाना है।

संलग्न - प्रारूप दिशा निर्देश।

(प्रभाकांत कटारे)

मुख्य अधियंता

म०प्र० राज्य रोजगार गारंटी परिषद्  
भोपाल

पृ.क्रमांक / प्रतिलिपि:- / MGNREGS-MP/NR-3/Q.C./2012 भोपाल, दिनांक: जनवरी, 2012

- 1 अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मण्डल(समस्त) म.प्र.
- 2 कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा, जिला (समस्त) म.प्र.
- 3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा, जिला पंचायत (समस्त) म.प्र.
- 4 कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग(समस्त) म.प्र.

माह जनवरी का निरीक्षण दिनांक 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में सम्पन्न कराया जाए। इस पत्र के साथ महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर गुणवत्ता मॉनीटरिंग के लिए प्रारूप दिशा निर्देश संलग्न किए जा रहे हैं। कृपया जिला पंचायत स्तर पर इसको गंभीरता से अध्ययन किया जाए एवं दिनांक 01 फरवरी 2012 तक इस पर जिला पंचायत अपना अभियान अधोहस्ताधरकर्ता को उपलब्ध कराएं।

संलग्न - प्रारूप दिशा निर्देश।

मुख्य अभियुक्त  
म0प्र0 राज्य रोजगार गारंटी परिषद्  
भोपाल

## महात्मा गांधी नरेगा योजना राज्य स्तर पर गुणवत्ता मॉनीटरिंग के लिये दिशा निर्देश

1. परिचय: महात्मा गांधी नरेगा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य स्तर पर स्वतंत्र गुणवत्ता मॉनीटर के माध्यम से कार्यों की गुणवत्ता के अंकेक्षण एवं सत्यापन कराए जाने के कार्य की अपेक्षा की गई है। राज्य में अब तक राज्य स्तरीय गुणवत्ता मॉनीटरिंग का जो कार्य करवाया जा रहा था वह मूलतः निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर कोन्फ्रेट था। अब राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि इस योजना के अंतर्गत संपादित किए जा रहे/संपन्न किए गए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की मॉनीटरिंग के साथ-साथ योजना के निम्नलिखित पहलुओं पर भी निगरानी राज्य गुणवत्ता मॉनीटर के माध्यम से संपन्न कराई जावे।

- (i) कार्य स्थल पर प्रभाविक एवं अद्यतन मस्टर रोल का संधारण
- (ii) निर्माण कार्यों का मापांकन एवं माप पुस्तिका का संधारण
- (iii) रोजगार की मांग की स्थिति एवं जाव कार्ड में प्रविष्टियां
- (iv) मजदूरों को समय पर एवं निर्धारित भुगतान

भविष्य में राज्य स्तर पर स्वतंत्र गुणवत्ता मॉनीटरिंग के आधार बिन्दु निम्नलिखित होंगे।

- (i) राज्य स्तर का स्वतंत्र गुणवत्ता मॉनीटर एक अनुभवी एवं विषय वस्तु का विशेषज्ञ व्यक्ति होगा, अतः उसकी सेवाओं का उपयोग केवल त्रुटि अन्वेषण (Fault Finding) के लिये न किया जाकर मैदानी ऐजेन्सियों को एक व्यवसायिक दिशा निर्देशक (Professional Guide) के रूप में भी किया जावेगा।
- (ii) यह आवश्यक है कि निरीक्षणों एवं उनके प्रतिवेदनों में अधिक से अधिक Objectivity रहे एवं Subjectivity न्यूनतम हो।
- (iii) निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रारूप इस प्रकार के होने चाहिये कि सभी राज्य गुणवत्ता मॉनीटर निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर अपने Observations इस Objective तरीके से दें कि एक ओर तो राज्य शारान को निर्माण कार्यों के संपादन में गुणवत्ता एवं योजना कार्यान्वयन के युख्य मुद्दों से संबंधित फीड बैक प्राप्त हो तो दूसरी ओर मैदानी ऐजेन्सियों को गुणवत्ता सुधार हेतु उचित मार्गदर्शन हो ताकि सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।
- (iv) यह महत्वपूर्ण है कि निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निर्माण ऐजेन्सी को स्पष्टतः यह समझ में आवे कि किस बिन्दु पर क्या कार्यवाही कर सुधार करना है।
- (v) इस तथ्य के रहते हुए कि राज्य स्तरीय गुणवत्ता मॉनीटर एक वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यवसायी हैं, उनसे जिलों एवं निर्माण कार्यों के निरीक्षण तथा योजना पर मैदानी ऐजेन्सियों से चर्चा आदि करने की प्रक्रिया के दौरान निष्पक्षता, Professionalism एवं उत्कृष्ट संनिष्ठा की अपेक्षा की जाती है। इन मॉनीटर्स के हांसा निरीक्षण में

एकरूपता हो इसके लिये एक और तो उनसे अपेक्षित कार्य के विषय पर एक अनुकूलन किया जाना अपेक्षित है परंतु दूसरी ओर यह भी आवश्यक होगा कि उनके द्वारा किये जा रहे कार्य की नियमित समीक्षा एवं निगरानी हो।

इन बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन ने राज्य स्तर की स्वतंत्र गुणवत्ता मॉनीटरिंग किये जाने के लिये समग्र दिशा निर्देश जारी करने का निर्णय लिया है।

## 2. निरीक्षणों की व्यवस्था:

परिषद द्वारा राज्य गुणवत्ता मॉनीटर के निरीक्षण हेतु आदेश जारी होने पर जिला गुणवत्ता समन्वयक द्वारा राज्य गुणवत्ता मॉनीटर्स से दूरभाष पर संपर्क किया जावेगा एवं उनकी निरीक्षण दिनांकों एवं विकल्पों की जानकारी ली जाकर निरीक्षण के लिये प्रस्तावित विकासखंड/जनपद पंचायतों के अधिकारियों से संपर्क कर समन्वय से निरीक्षण के दिनांक निर्धारित किये जाएंगे। जिला गुणवत्ता समन्वयक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य गुणवत्ता मॉनीटर के भ्रमण के लिये आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे वाहन, ठहरने की व्यवस्था एवं निरीक्षण के लिये आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जावे। मॉनीटर के साथ कम से कम सहायक यंत्री स्तर के अधिकारी का भ्रमण पर जाना भी सुनिश्चित किया जावे। भ्रमण के दौरान अथवा उसके उपरांत यदि राज्य स्तर गुणवत्ता मॉनीटर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी या जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा कलेक्टर से संपर्क कर चर्चा करना चाहें तो इसकी व्यवस्था भी जिला गुणवत्ता समन्वयक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। जिला गुणवत्ता समन्वयक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत निरीक्षण अथवा जिले में भ्रमण के समय सामने आई किसी अवांछनीय घटना की जानकारी तुरंत मुख्य अभियंता, महात्मा गांधी नरेगा भोपाल को दिया जाना सुनिश्चित करेंगे।

## 3. निरीक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन : राज्य स्तरीय गुणवत्ता मॉनीटर्स द्वारा निरीक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के विषय पर निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी—

- (i) राज्य गुणवत्ता मॉनीटर द्वारा परिषद से प्राप्त निरीक्षण अनुरोध के अनुसार ही जिलों ने निरीक्षण एवं भ्रमण सुनिश्चित किया जावेगा।
- (ii) जब तक कि अन्यथा प्रादधानित न हो, मॉनीटर्स द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन केवल निर्धारित प्रारूप में ही निर्धारित विधि से तैयार किये जावेंगे।
- (iii) भ्रमण के दौरान यदि गुणवत्ता अथवा कार्यक्रम कार्यान्वयन में कोई कमी पाई गई है तो उसकी जानकारी तुरंत निर्माण एजेन्सी को हो जावे एवं सुधारात्मक कार्यवाही निरीक्षण के तुरंत बाद प्रारंभ कर दी जावे इस दृष्टिकोण से निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षण के तुरंत बाद या हर हाल में भ्रमण किये गए जिले को छोड़ने के पूर्व पूर्ण किये जाकर सील्ड लिफाफे में निर्माण एजेन्सी या ग्राम पंचायत निर्माण एजेन्सी होने पर संबंधित जनपद पंचायत/विकासखंड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी या जनपद पंचायत के अन्य जवाबदार अधिकारी को सौंपे जाएंगे। निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति जिला गुणवत्ता समन्वयक/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को भी भ्रमण किये गये जिले को छोड़ने के पहले सौंपा जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

- (iv) निरीक्षण प्रतिवेदन की तीसरी प्रति मुख्य अभियंता, महात्मा गांधी नरेगा भोपाल को निरीक्षण भ्रमण कार्यक्रम संपन्न होने के एक सप्ताह के भीतर भेजा जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
4. निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाना: राज्य गुणवत्ता मॉनीटर द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन निम्नानुसार निर्धारित प्रक्रिया से किया जावेगा।
- निर्माण कार्यों का संपादन निश्चित रूप से किसी न किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में किया जाता है। अतः मॉनीटर द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में निरीक्षण के लिये जाने पर सबसे पहले महात्मा गांधी नरेगा योजना की उस ग्राम पंचायत में कार्यक्रम कार्यान्वयन की सामान्य निगरानी की जाकर “निरीक्षण प्रतिवेदन भाग-1” (संलग्न परिशिष्ट-1) पूर्ण किया जावेगा।
  - ग्राम पंचायत रत्तर पर योजना कार्यान्वयन के विषय को देखने के उपरांत निर्माण कार्य के निरीक्षण करने पर प्रत्येक निर्माण कार्य के विवरण को “निरीक्षण प्रतिवेदन भाग-2 (क)” (संलग्न परिशिष्ट-2) में निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण किया जावेगा।
  - निर्माण कार्य के प्रकार के अनुसार निरीक्षण कार्य का विस्तृत “निरीक्षण प्रतिवेदन भाग-2 (ख)” (संलग्न परिशिष्ट-3) में दिए गए विभिन्न प्रपत्रों में से चयन किया जाकर निरीक्षण प्रतिवेदन अंकित किया जावेगा।
  - स्वतंत्र राज्य गुणवत्ता मॉनीटर का भ्रमण संक्षेप इस उद्देश्य से निर्धारित संलग्न प्रपत्र में अंकित किया जावेगा।
5. निर्माण कार्य की गुणवत्ता ग्रेडिंग: प्रत्येक निर्माण कार्य के प्रत्येक निर्माण मद की गुणवत्ता की ग्रेडिंग गुणवत्ता मॉनीटर द्वारा इस दृष्टि से की जावेगी कि निर्धारित विशेषीकरणों (Specifications) तथा मानकों की तुलना में रथल पर निर्माण मद की गुणवत्ता का स्तर किस प्रकार का है। सामान्य एवं शिल्प कौशल को शामिल करते हुए यदि निर्माण मद की गुणवत्ता का रत्तर संतोषप्रद है तो “संतोषप्रद” (S) गुणवत्ता ग्रेड दिया जावे। यदि गुणवत्ता का स्तर निर्धारित मानकों की तुलना में संतोषप्रद नहीं है तो “असंतोषप्रद” (U) ग्रेड दिया जाए। हालांकि यदि गुणवत्ता का रत्तर इस प्रकार का है कि उसमें सुधार किया जा सकता है तो “सुधार योग्य” (R) ग्रेड दिया जाए। मॉनीटर्स से अपेक्षा है कि वे हर निर्माण मद के विशेषीकरणों की पूरी जानकारी से सुसज्जित रहें एवं गुणवत्ता पर उनके द्वारा की गई ग्रेडिंग अथवा Observations पूर्णतः Objective हों। प्रत्येक निर्धारित निर्माण मद की गुणवत्ता ग्रेडिंग करने के उपरांत कार्य की समग्र गुणवत्ता ग्रेडिंग भी मॉनीटर द्वारा की जावेगी। मुख्य रूप से प्रत्येक निर्माण कार्य में प्राक्कलन की उपयुक्तता, निर्माण कार्य की गुणवत्ता, निर्माण कार्य के मापांकन एवं निर्माण कार्य की उपयोगिता एवं अन्य विषयकी गुणवत्ता ग्रेडिंग किया जाना अपेक्षित है। समग्र गुणवत्ता ग्रेडिंग करने के लिये निम्नानुसार कार्यवाही की जावे।

(क) प्रावकलन की उपयुक्तता पर गुणवत्ता ग्रेडिंग:

निर्माण कार्य के निरीक्षण के समय निर्माण कार्य का प्रावकलन: अनिवार्य रूप से परीक्षण किया जाए एवं कार्य की प्रकृति के आधार पर निरीक्षण प्रतिवेतन भाग-2(ख) के बिन्दु क्रमांक 1 में Observations लिखे जाए। सभी Observations लिखे जाने के उपरांत इस खण्ड में गुणवत्ता ग्रेडिंग की जाए, यदि RI या U ग्रेड दिया गया है तो उसके कारण स्पष्ट करते हुए सुधार के सुझाव अंकित किए जाए।

(ख) निर्माण कार्य की गुणवत्ता ग्रेडिंग:

निर्माण कार्य की प्रकृति के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेतन भाग-2(ख) के बिन्दु क्रमांक 2 के सभी उपखण्डों में निर्माण कार्य की निर्माण मद का निरीक्षण कर संपादित की गई मद की गुणवत्ता का आंकलन उसके लिए निर्धारित रपेशीफिकेशन एवं प्रावकलन में प्रावधान के अनुसार तुलना करते हुए Observations लिखे जाए। सभी Observations लिखे जाने के उपरांत इस खण्ड में गुणवत्ता ग्रेडिंग की जाए। यदि निर्माण कार्य की सभी मदें गुणवत्ता की दृष्टि से संतोषप्रद है तो पूरे खण्ड की गुणवत्ता की "संतोषप्रद" S ग्रेडिंग दी जाए, यदि किसी भी एक उपखण्ड की गुणवत्ता "असंतोषप्रद" U होगी तो सम्पूर्ण खण्ड की गुणवत्ता U ही ग्रेड की जावे, यदि किसी भी एक मद की गुणवत्ता ग्रेडिंग "सुधारयोग्य" RI पाई जाती है एवं शेष सभी मदें S हैं तो भी पूरे खण्ड की गुणवत्ता ग्रेडिंग RI की जावे। सारांश में यह उल्लेख किया जाता है कि इस खण्ड की किसी भी मद के लिए गुणवत्ता की न्यूनतम गुणवत्ता ग्रेडिंग ही इस खण्ड की गुणवत्ता ग्रेडिंग होगी। यदि RI या U ग्रेड दिया गया है तो उसके कारण स्पष्ट करते हुए सुधार के सुझाव अंकित किए जाए।

(ग) निर्माण कार्य के मापांकन की गुणवत्ता ग्रेडिंग:

निर्माण कार्य के निरीक्षण के समय निर्माण कार्य के मापांकन को अनिवार्य रूप से परीक्षण किया जाए एवं कार्य की प्रकृति के आधार पर निरीक्षण प्रतिवेतन भाग-2(ख) के बिन्दु क्रमांक 3 में Observations लिखे जाए। निर्माण कार्य के मापांकन में उसकी सत्यता एवं प्रामाणिकता ही इस खाड़ की गुणवत्ता ग्रेडिंग का आधार होगी। सभी Observations लिखे जाने के उपरांत इस खण्ड में गुणवत्ता ग्रेडिंग की जाए, यदि RI या U ग्रेड दिया गया है तो उसके कारण स्पष्ट करते हुए सुधार के सुझाव अंकित किए जाए।

(घ) निर्माण कार्य की उपयोगिता एवं अन्य विषय:

निर्माण कार्य के निरीक्षण के समय निर्माण कार्य की उपयोगिता का परीक्षण किया जाए एवं यदि किसी ऐसे विषय पर जो कि प्रतिवेदन प्रारूप में समिलित नहीं है को मॉनीटर द्वारा उल्लेख करने योग्य पाया जाता है तो उसका उल्लेख करते हुए कार्य की प्रकृति के आधार पर निरीक्षण प्रतिवेतन भाग-2(ख) के बिन्दु क्रमांक 4 में Observations लिखे जाए। निर्माण कार्य की उपयोगिता ही इस खण्ड की गुणवत्ता ग्रेडिंग का आधार होगी। सभी Observations लिखे जाने के उपरांत इस खण्ड में गुणवत्ता ग्रेडिंग की जाए, यदि RI या U ग्रेड दिया गया है तो उसके कारण स्पष्ट करते हुए सुधार के सुझाव अंकित किए जाए।

## कार्य की समग्र गुणवत्ता ग्रेडिंग:

निर्माण कार्य की उपरोक्त मदों में अलग-अलग गुणवत्ता ग्रेडिंग की जाकर निम्नानुसार तालिका में निरीक्षण प्रतिवेतन भाग-2(ख) के बिन्दु क्रमांक 5 में अंकित किया जाएः

क्रमांक	मद	दी गई गुणवत्ता ग्रेडिंग
1.	प्राक्कलन की उपयुक्तता	
2.	निर्माण कार्य की गुणवत्ता	
3.	निर्माण कार्य के मापांक	
4.	निर्माण कार्य की उपयोगिता / अन्य विषय	
	समग्र गुणवत्ता ग्रेडिंग	

यदि सभी मदों में गुणवत्ता ग्रेडिंग "संतोषप्रद" S है तो समग्र गुणवत्ता ग्रेडिंग "संतोषप्रद" S होगी। यदि क्रमांक 2 की गुणवत्ता ग्रेडिंग "असंतोषप्रद" U है तो अन्य क्रमांकों की कुछ भी ग्रेडिंग हो समग्र गुणवत्ता ग्रेडिंग "असंतोषप्रद" U ही होगी। क्रमांक 1, 3 एवं 4 की गुणवत्ता ग्रेडिंग यदि "असंतोषप्रद" U अथवा "सुधारयोग्य" RI होने पर समग्र गुणवत्ता ग्रेडिंग "सुधारयोग्य" RI होगी।

6. निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर की जाने वाली कार्यवाही: निर्माण एजेन्सी को जैसे दी निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होगा, उनका यह दायित्व होगा कि निरीक्षण प्रतिवेदन में इंगित की गई गुणवत्ता अथवा कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित कमियों को दूर करने के लिये तुरंत कार्यवाही प्रारंभ करें एवं कृत कार्यवाही की रपट बिन्दुवार रिपोर्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के माध्यम से मुख्य अभियंता, महात्मा गांधी नरेगा भोपाल को प्रेषित की जाए। यदि निरीक्षण प्रतिवेदन के किन्हीं बिंदुओं से निर्माण एजेन्सी सहमत न हो तो असहमति के रपट कारण दर्शाते हुए तथ्यात्मक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया जाकर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से तदनुसार ही प्रेषित की जाए।

**महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना**  
स्वतंत्र राज्य गुणवत्ता मानीटर्स का निरीक्षण प्रतिवेदन—भाग 1

योजना कार्यान्वयन की सामान्य निगरानी

मॉनीटर का नाम: \_\_\_\_\_ निरीक्षण का दिनांक: DD MM YY

जिला: \_\_\_\_\_ विकासखण्ड / जनपद पंचायत: \_\_\_\_\_ ग्राम पंचायत: \_\_\_\_\_

**विषय क्रमांक 1: रोजगार मांग की स्थिति**

- 1.1 क्या रोजगार की मांग हेतु ग्रामीणजनों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये?  
1.2 यदि हाँ तो क्या आवेदन की पावती नियमानुसार आवेदक को दी गयी?  
1.3 क्या रोजगार के आवेदकों को आवेदन दिनांक से 15 दिनों में रोजगार उपलब्ध कराया गया?

हाँ	नहीं
-----	------

हाँ	नहीं
-----	------

हाँ	नहीं
-----	------

विवरण:

**विषय क्रमांक 2: जॉबकार्ड्स संधारण की स्थिति**

- 2.1 क्या मानव दिवसों की प्रविष्टि जॉबकार्ड्स में की गई है?  
2.2 क्या भुगतान की प्रविष्टि जॉबकार्ड्स में की गई है?  
2.3 क्या जॉबकार्ड्स धारकों के पास रहते हैं?  
2.4 यदि नहीं तो क्या किसी पदाधिकारी जैसे सरपंच या कर्मचारी जैसे मेट/पंचायत सचिव के पास जॉबकार्ड्स रखे गये हैं?

हाँ	नहीं
-----	------

हाँ	नहीं
-----	------

हाँ	नहीं
-----	------

हाँ	नहीं
-----	------

विवरण:

**विषय क्रमांक 3: मस्टर रोल संधारण की स्थिति**

3.1 क्या मस्टर रोल पर क्रमांक एवं प्रदायकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर हैं?

हाँ	नहीं
-----	------

3.2 क्या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रदाय मस्टर रोल उपयोग हो रहे हैं?

हाँ	नहीं
-----	------

3.3 क्या मस्टर रोल में हाजरी एवं भुगतान की गई राशि की प्रविष्टि की जाती है?

हाँ	नहीं
-----	------

3.4 क्या वास्तविक रूप से कार्यरत मजदूरों की संख्या एवं मस्टर रोल में अंकित मजदूरों की संख्या समान है?

हाँ	नहीं
-----	------

3.5 क्या कार्यस्थल पर कच्चा मस्टर रोल रखा जाता है ?

हाँ	नहीं
-----	------

3.6 क्या मस्टर रोल निर्माण स्थल पर रहता है?

हाँ	नहीं
-----	------

विवरण:

**विषय क्रमांक 4: माप पुस्तिका संधारण की स्थिति**

4.1 क्या माप पुस्तिका पर माप पुस्तिका का क्रमांक, जारी करने का दिनांक एवं जारी करने वाले अधिकारी का नाम अंकित है?

हाँ	नहीं
-----	------

4.2 क्या कार्य के माप अन्य लूज पेपर/डायरी पर अंकित किए जाते हैं?

हाँ	नहीं
-----	------

4.3 क्या प्रति सप्ताह माप अंकन किया जाता है?

हाँ	नहीं
-----	------

4.4 क्या मापों का अंकन अधिकृत अधिकारी द्वारा ही किया जाता है?

हाँ	नहीं
-----	------

4.5 क्या मापों का सत्यापन सहायक यंत्री स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है?

हाँ	नहीं
-----	------

विवरण:

**विषय क्रमांक 5: सामान्य जानकारी**

5.1 क्या ग्राम पंचायत के क्षेत्र में मजदूरी की संभावित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में स्वीकृत कार्य उपलब्ध हैं?

हाँ	नहीं
-----	------

5.2 क्या योजनांतर्गत पूर्ण किए गए कार्यों के पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं?

हाँ	नहीं
-----	------

5.3 क्या परिसम्पत्तियों का रिकार्ड नियमानुसार रजिस्टर में संधारित है?

हाँ	नहीं
-----	------

विवरण:

**विषय क्रमांक 6: ऐसी कोई जानकारी जो राज्य गुणवत्ता मानीटर विशेष रूप से उल्लेख करना चाहते हो निम्नानुसार बॉक्स में उल्लेख करें**

विवरण:

**कार्यक्रम कार्यान्वयन की गुणवत्ता पर आपके द्वारा दी गई ग्रेड**

S	SRI	U
---	-----	---

(इस खण्ड की गुणवत्ता ग्रेड का निर्धारण कार्यक्रम के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वयन की स्थिति के आधार पर किया जावे)

हस्ताक्षर एवं विवरण  
राज्य गुणवत्ता मानीटर  
दिनांक:

महात्मा गांधी साष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना  
स्वतंत्र राज्य गुणवत्ता मानीटर्स का निरीक्षण प्रतिवेदन—भाग 2

निर्माण कार्य का निरीक्षण प्रतिवेदन—कार्य क्रमांक .....

**निर्माण कार्य का विवरण—(क)**

(यह विवरण सभी प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए तैयार किया जाए)

मॉनीटर का नाम: \_\_\_\_\_ निरीक्षण का दिनांक: DD MM YY

जिला: \_\_\_\_\_ विकासखण्ड / जनपद पंचायत: \_\_\_\_\_ ग्राम पंचायत: \_\_\_\_\_

क्रियान्वयन एजेंसी: \_\_\_\_\_

प्रभारी उपयंत्री \_\_\_\_\_ सहायक यंत्री \_\_\_\_\_

1. कार्य का नाम \_\_\_\_\_
2. प्रशासकीय स्वीकृति क्रमांक व राशि \_\_\_\_\_
3. तकनीकी स्वीकृति क्रमांक व राशि \_\_\_\_\_
4. आवंटित राशि रु. \_\_\_\_\_ व्यय की गई राशि रु. \_\_\_\_\_
5. निर्माण की श्रेणी \_\_\_\_\_
6. कार्य का तकनीकी विवरण \_\_\_\_\_
7. स्थल पर सूचना पटल मय पूर्ण जानकारी सहित \_\_\_\_\_  हाँ  नहीं
8. निरीक्षण के समय पूर्ण किये गये कार्य का प्रतिशत \_\_\_\_\_
9. कार्य का प्रकार: (जल संरक्षण / जल संवर्धन / सूखे की रोकथाम / बाढ़ नियंत्रण / सिंचाई सुविधा / हितग्राही मूलक कार्य / पुरानी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार / भूमि सुधार / सड़क निर्माण / वृक्षारोपण / कोई अन्य कार्य \_\_\_\_\_
10. मस्टर रोल पर लगाये गये श्रमिकों के भुगतान संबंधी यदि कोई अनियमितता या शिकायत है, तब उसका विवरण \_\_\_\_\_

11. अन्य उल्लेखनीय विवरण \_\_\_\_\_

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना  
स्वतंत्र राज्य गुणवत्ता मानीटर्स का निरीक्षण प्रतिवेदन—भाग 2  
निर्माण कार्य का विस्तृत निरीक्षण प्रतिवेदन—(ख) कार्य क्रमांक .....

मिट्टी के बंधान कार्य से तालाब निर्माण

1. स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार प्रावधान एवं व्हेमतअंजपवदः:

- (i) मिट्टी कार्य की मात्रा घनमीटर में:
- (ii) क्या वाटरिंग तथा काम्पेक्शन का प्रावधान है:  हाँ  नहीं
- (iii) यदि हाँ तो प्रावधान क्या है संक्षिप्त उल्लेख करें (Length, Sectional details, Maximum height etc.)

- (iv) यदि वेस्ट वियर या अन्य पक्के कार्य का प्रावधान है तो स्पष्ट संक्षिप्त उल्लेख करें (Type, Length, Up/Down-stream Protection, Retaining Structures etc.):

- (v) अन्य कोई प्रावधान हैं तो उल्लेख करें:

- (vi) स्थल की परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के दृष्टिगत स्वीकृत किए गए प्राक्कलन की उपयुक्तता पर आपका स्पष्ट अभिमत दें:

- (vii) कार्य के इस खण्ड पर आपके द्वारा दी गई गई गुणवत्ता ग्रेड

S	SRI	U
---	-----	---

(इस खण्ड की गुणवत्ता ग्रेड का निर्धारण स्वीकृत प्राक्कलन में किए गए प्रावधानों की स्थल के अनुसार उपयुक्तता के आधार पर किया जावे)

## 2. निर्माण कार्य पर विस्तृत तकनीकी व्हेमतअंजपवदे:

(i) स्वीकृत प्रावकलन की तुलना में किये गए कार्य एवं उसकी गुणवत्ता पर स्पष्ट तकनीकी व्हेमतअंजपवदे बिन्दुवार नीचे अंकित किए जाएः (यदि लिखने के लिए स्थान कम हो तो अतिरिक्त शीट जोड़े) (उदाहरणः प्रावकलन में 120 मीटर लम्बे वण्ड में टाप विह्वथ 1.5 मीटर, चैनेज 40 मीटर पर सर्वाधिक 4 मीटर ऊचाई तथा 2:1 के साइड स्लोप्स अप स्ट्रीम एवं डाइन स्ट्रीम में प्रावधानित हैं। कुल मिट्टी की मात्रा 2400 घनमीटर का प्रावधान है। स्थल पर 40 मीटर चैनेज पर वण्ड की ऊड़ाई 1.05 मीटर पाई गई ऊड़ाई 2.8 मीटर पाई गई एवं साइड स्लोप्स लगभग 1:1 पाए गए। किए गए कार्य को देखने से कुल लगभग 1600 घनमीटर मिट्टी का कार्य पाया गया। व्हेंडेवर्टल में नीव में 60 सेमी ऊड़ाई का प्रावधान था परतु 45 सेमी ऊड़ाई में कार्य किया गया। सीमेंट कांक्रीट में ड.३३४४ का प्रावधान था स्थल पर कांक्रीट की गुणवत्ता देखने से कांक्रीट ड.३३४४ प्रतीत होती है आदि इत्यादि।)

मिट्टी के बंधान (Earth work in Bund) के कार्य पर Observations:

यदि कोई पक्का कार्य प्रावधानित है तो उस पर Observations:

अन्य किसी मद में यदि कार्य प्रावधानित है तो उस पर Observations:

- (ii) कार्य के इस खण्ड पर आपके द्वारा दी गई गुणवत्ता ग्रेड 

S	SRI	U
---	-----	---
- (iii) यदि कार्य को RI या U ग्रेड दिया गया है तो उसका कारण स्पष्ट करें एवं कार्य को कैसे सुधारा जाए इस पर स्पष्ट टीप लिखें।

### 3. निर्माण कार्य के मापांकन:

- (i) मापांकन की सत्यता एवं उन मापों की जांच सहायक यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा किए जाने के विषय पर बिन्दुवार Observation नीचे अंकित किए जाएः

- (ii) कार्य के इस खण्ड पर आपके द्वारा दी गई गुणवत्ता ग्रेड 

S	SRI	U
---	-----	---
- (iii) यदि कार्य को RI या U ग्रेड दिया गया है तो उसका कारण स्पष्ट करें एवं कार्य को कैसे सुधारा जाए इस पर स्पष्ट टीप लिखें।

4. निर्माण कार्य की उपयोगिता या अन्य किसी विषय पर Observations नीचे अंकित किए जाएः

--

(i) कार्य के इस खण्ड पर आपके द्वारा दी गई गुणवत्ता ग्रेड

S	SRI	U
---	-----	---

(ii) यदि कार्य को RI या U ग्रेड दिया गया है तो उसका कारण स्पष्ट करें एवं कार्य को कैसे सुधारा जाए इस पर स्पष्ट टीप लिखें।

--

5. कार्य की समग्र गुणवत्ता ग्रेडिंगः

क्रमांक	मद	दी गई गुणवत्ता ग्रेडिंग
1.	प्राक्कलन की उपयुक्तता	
2.	निर्माण कार्य की गुणवत्ता	
3.	निर्माण कार्य के मापांकन	
4.	निर्माण कार्य की उपयोगिता / अन्य विषय	
	समग्र गुणवत्ता ग्रेडिंग	

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण सेजगार गारंटी योजना  
स्वतंत्र राज्य गुणवत्ता मानीटर्स का निरीक्षण प्रतिवेदन—भाग 2

**निर्माण कार्य का विस्तृत निरीक्षण प्रतिवेदन—(ख) कार्य क्रमांक .....**

सार्वजनिक पेयजल/सिंचाई कूप निर्माण कार्य

1. स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार प्रावधान एवं छेमतअंजपवदः

- (i) सधारण एवं कठोर मिट्टी में खुदाई की मात्रा मिट्टी कार्य की मात्रा घनमीटर में:  
(ii) हार्ड मुरम या डिसइंटीग्रेटेड रॉक में खुदाई की मात्रा मिट्टी कार्य की मात्रा घनमीटर  
(iii) मुरम या कड़ी चट्टान में खुदाई की मात्रा मिट्टी कार्य की मात्रा घनमीटर में  
(iv) कुंएँ में यदि थ्वनदकंजपवद ठेंम त्पदह का प्रावधान है तो उसका विवरण एवं मात्रा:


- (v) कूप को लाइनेंग के लिए प्रस्तावित कार्य का विवरण अलग—अलग ऊचाई में लाइनेंग की मोटाई एवं मात्रा का विवरण:


- (vi) कूप की पेरापिट/जगत के निर्माण के लिए किए गए प्रावधान का विवरण एवं मात्रा (भूमि के लेबिल से पेरापिट की ऊचाई एवं उपयुक्तता पर भी टीप दें) :


- (vii) यदि सार्वजनिक पेयजल कूप है तो जम्जमत क्पेचवेंस के लिए की गई व्यवस्था का विवरण एवं उसकी पर्याप्तता पर टीप:


(viii) कार्य के इस खण्ड पर आपके द्वारा दी गई गुणवत्ता ग्रेड

S	SRI	U
---	-----	---

(इस खण्ड की गुणवत्ता ग्रेड का निर्धारण स्वीकृत प्राक्कलन में किए गए प्रावधानों की स्थल के अनुसार उपयुक्तता के आधार पर किया जाये)

(ix) यदि कार्य को न या - ग्रेड दिया गया है तो उसका कारण स्पष्ट करें एवं कार्य को कैसे सुधारा जाए इस पर स्पष्ट टीप लिखें।

2. निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विस्तृत तकनीकी छेमतअंजपवदे:

(i) स्वीकृत प्राक्कलन की तुलना में किया गया कार्य एवं गुणवत्ता पर स्पष्ट तकनीकी टीप एवं बिन्दुवार छेमतअंजपवदे नीचे अंकित किए जाएः (यदि लिखने के लिए स्थान कम हो तो अतिरिक्त शीट जोड़े) (उदाहरण: प्राक्कलन में 120 मीटर लम्बे वण्ड में टाप विडथ 1.5 मीटर, चैनेज 40 मीटर पर सर्वाधिक 4 मीटर ऊचाई तथा 2:1 के साइड स्लोप्स अप स्ट्रीम एवं डाऊन स्ट्रीम में प्रावधानित हैं, कुल मिट्टी की मात्रा 2400 घनमीटर का प्रावधान है। स्थल पर 40 मीटर चैनेज पर वण्ड की चौड़ाई 1.05 मीटर पाइ गई ऊचाई 2.8 मीटर पाइ गई एवं साइड स्लोप्स लगभग 1:1 पाए गए। किए गए कार्य को देखने से कुल लगभग 1600 घनमीटर मिट्टी का कार्य पाया गया। व्ह डेवेलतल में नींव में 60 सेमी चौड़ाई का प्रावधान था परंतु 45 सेमी चौड़ाई में कार्य किया गया। सीमेंट कांक्रीट में ड.३३४४ का प्रावधान था स्थल पर कांक्रीट की गुणवत्ता देखने से कांक्रीट ड.३३४४ प्रतीत होती है आदि इत्यादि। )

खुदाई कार्य पर Observations:

Foundation Base Ring तथा लाईनिंग पर Observations:

Waste Water Disposal एवं अन्य किसी मद में यदि कार्य प्रावधानित है तो उस पर Observations:

- (ii) कार्य के इस खण्ड पर आपके द्वारा दी गई गुणवत्ता ग्रेड 

S	SRI	U
---	-----	---
- (iii) यदि कार्य को RI या U ग्रेड दिया गया है तो उसका कारण स्पष्ट करें एवं कार्य को कैसे सुधारा जाए इस पर स्पष्ट टीप लिखें।

3. निर्माण कार्य के मापांकन: मापांकन की सत्यता एवं उन मापों की जांच सहायक यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा किए जाने के विषय पर बिन्दुवार Observations नीचे अंकित किए जाएः

- (i) कार्य के इस खण्ड पर आपके द्वारा दी गई गुणवत्ता ग्रेड 

S	SRI	U
---	-----	---
- (ii) यदि कार्य को RI या U ग्रेड दिया गया है तो उसका कारण स्पष्ट करें एवं कार्य को कैसे सुधारा जाए इस पर स्पष्ट टीप लिखें।

4. निर्माण कार्य की उपयोगिता या अन्य किसी विषय पर Observations नीचे अंकित किए जाएः

S	SRI	U
---	-----	---

- (i) कार्य के इस खण्ड पर आपके द्वारा दी गई गुणवत्ता ग्रेड  
(ii) यदि कार्य को RI या U ग्रेड दिया गया है तो उसका कारण स्पष्ट करें एवं कार्य को कैसे सुधारा जाए इस पर स्पष्ट टीप लिखें।

### 5. कार्य की समग्र गुणवत्ता ग्रेडिंग:

क्रमांक	मद	दी गई गुणवत्ता ग्रेडिंग
1.	प्राक्कलन की उपयुक्तता	
2.	निर्माण कार्य की गुणवत्ता	
3.	निर्माण कार्य के मापांकन	
4.	निर्माण कार्य की उपयोगिता / अन्य विषय	
	समग्र गुणवत्ता ग्रेडिंग	

हस्ताक्षर एवं विवरण  
राज्य गुणवत्ता मानीटर  
दिनांक:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना  
स्वतंत्र राज्य गुणवत्ता मानीटर्स का निरीक्षण प्रतिवेदन—भाग 2  
निर्माण कार्य का विस्तृत निरीक्षण प्रतिवेदन—(ख) कार्य क्रमांक .....

स्टाप डेम निर्माण

1. स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार प्रावधान एवं Observations :

(i) मुख्य Wall/Wear में (Key Walls सहित कार्य का विवरण:

a) Foundation Concrete का विवरण

b) Foundation Concrete की मात्रा घनमीटर में

c) नींव में Masonry/Mass Concrete का विवरण

d) नींव में Masonry/डैंपिंग Concrete की मात्रा घनमीटर में

e) Superstructure में Masonry/डैंपिंग Concrete का विवरण

f) Superstructure में Masonry/Mass Concrete की मात्रा घनमीटर में

(ii) किस प्रकार के शटर्स का प्रावधान है उनकी मात्रा तथा विवरण का उल्लेख किया जाए

(iii) स्थल की परिस्थितियों के अनुसार क्या Down Stream Drain Bed Protection आवश्यक है तथा क्या Down Stream Protection का प्रावधान किया गया है। Down Stream Protection का विवरण उसकी मोटाई, मोटाई की पर्याप्तता त्रिवज्ञमबजपवद की मात्रा घनमीटर में विवरण लिखे। यदि Down Stream Protection आवश्यक था परंतु प्रावधानित नहीं किया गया तो उल्लेख करें।

(iv) क्या Drain के Down Stream Banks के Protection की आवश्यकता स्थल की परिस्थितियों के अनुसार है एवं यदि इस Protection के लिए Wing Walls आदि का

प्रावधान किया गया है तो उसका विवरण लिखे Protection की पर्याप्तता, उसकी नींव की गहराई आदि की पर्याप्तता पर स्पष्ट अभिमत लिखे।

- (v) क्या स्थल चयन उचित है, क्या Drain में पर्याप्त Discharge उपलब्ध रहता है ताकि स्टाप डेम की उपयोगिता सुनिश्चित हो सके विस्तृत विवरण लिखे।

- (vi) स्थल की परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के दृष्टिगत स्वीकृत किए गए प्राक्कलन की उपयुक्तता पर आपका स्पष्ट अभिमत दें।

- (vii) कार्य के इस खण्ड पर आपके द्वारा दी गई गुणवत्ता ग्रेड 

S	SRI	U
---	-----	---

- (viii) यदि कार्य को RI या U ग्रेड दिया गया है तो उसका कारण स्पष्ट करें एवं कार्य को कैसे सुधारा जाए इस पर स्पष्ट टीप लिखें।

2. निर्माण कार्य पर तकनीकी Observation:
- (i) स्वीकृत प्राक्कलन की तुलना में किया गया कार्य एवं गुणवत्ता पर स्पष्ट तकनीकी टीप एवं बिन्दुवार Observations नीचे अंकित किए जाएः (यदि लिखने के लिए स्थान कम हो तो अतिरिक्त शीट जोड़ें) ()

मुख्य Wall/Wear में (ज़मल Walls सहित) कार्य पर Obeservations:

a) Foundation Concrete (यदि निरीक्षण संभव हो तो) पर Observations:

मुख्य Wall/Wear में (Key Walls सहित) कार्य पर Observations:

b) नींव में Masonry/Mass Concrete (यदि निरीक्षण संभव हो तो) पर Observations:

c) Superstructure में Masonry/Mass Concrete पर Observations:

d) अवलोकन योग्य कार्य की Workmanship पर स्पष्ट Observations:

शटर्स की गुणवत्ता एवं स्थल की परिस्थितियों के अनुसार उसकी उपयुक्तता पर स्पष्ट टीप देंवे

(iii) Down Stream Drain Bed Protection पर Observations:

Down Stream Drain Bed Protection, उसकी मोटाई, सामग्री एवं Workmanship की गुणवत्ता पर स्पष्ट Observations:

(iv) Drain Down Stream Banks के Protection पर Observations:

Protection के लिए Wing Walls आदि की गुणवत्ता तथा Workmanship पर एवं उसकी नींव की गहराई आदि की पर्याप्तता पर स्पष्ट Observations:

- (v) कार्य के इस खण्ड पर आपके द्वारा दी गई गुणवत्ता ग्रेड 

S	SRI	U
---	-----	---
- (vi) यदि कार्य को RI या U ग्रेड दिया गया है तो उसका कारण स्पष्ट कर एवं कार्य को कैसे सुधारा जाए इस पर स्पष्ट टीप लिखें।

3. निर्माण कार्य के मापांकन:

- (i) मापांकन की सत्यता एवं उन मापों की जांच सहायक यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा किए जाने के विषय पर बिन्दुवार Observation नीचे अंकित किए जाएः

S	SRI	U
---	-----	---

- (ii) कार्य के इस खण्ड पर आपके द्वारा दी गई गुणवत्ता ग्रेड S SRI U
- (iii) यदि कार्य को RI या U ग्रेड दिया गया है तो उसका कारण स्पष्ट करें एवं कार्य को कैसे सुधारा जाए इस पर स्पष्ट टीप लिखें।

4. निर्माण कार्य की उपयोगिता या अन्य किसी विषय पर Observations नीचे अंकित किए जाएः

S	SRI	U
---	-----	---

- (i) कार्य के इस खण्ड पर आपके द्वारा दी गई गुणवत्ता ग्रेड S SRI U
- (i) यदि कार्य को RI या U ग्रेड दिया गया है तो उसका कारण स्पष्ट करें एवं कार्य को कैसे सुधारा जाए इस पर स्पष्ट टीप लिखें।

6. कार्य की समग्र गुणवत्ता ग्रेडिंग:

क्रमांक	मद	दी गई गुणवत्ता ग्रेडिंग
1.	प्राक्कलन की उपयुक्तता	
2.	निर्माण कार्य की गुणवत्ता	
3.	निर्माण कार्य के मापांकन	
4.	निर्माण कार्य की उपयोगिता / अन्य विषय	
	समग्र गुणवत्ता ग्रेडिंग	

हस्ताक्षर एवं विवरण  
राज्य गुणवत्ता मानीटर  
दिनांक:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

स्वतंत्र राज्य गुणवत्ता मानीटर्स का निरीक्षण प्रतिवेदन—भाग 2

निर्माण कार्य का विस्तृत निरीक्षण प्रतिवेदन—(ख) कार्य क्रमांक .....

ह्यूम पाईप पुलिया/रपटा निर्माण

1. स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार प्रावधान पर व्हेमतअंजपवदे:

(i) मुख्य Wall-Up Stream एवं Down Stream दोना में (Key Walls सहित) कार्य का विवरण:

a) Foundation Concrete का विवरण

b) Foundation Concrete की मात्रा घनमीटर में

c) नींव में Masonry/Mass Concrete का विवरण

d) नींव में Masonry/Mass Concrete की मात्रा घनमीटर में

e) Superstructure में Masonry/Mass Concrete का विवरण

f) Superstructure में Masonry/Mass Concrete की मात्रा घनमीटर में

g) क्या मुख्य Walls को HFL लेवल तक Drain ठंडो में उचित रूप से Key करने का प्रावधान किया गया है, पूर्ण विवरण सहित टीप दें:

(ii) ह्यूम पाईप्स का विवरण (NP-2 या NP-3 आदि), पाईप्स की कितनी त्वे है, कितने प्रतिशत Opening है क्या यह Opening पर्याप्त है विवरण लिखे:

(iii) ह्यूम पाईप को Embed करने की क्या व्यवस्था है पुलिया के Floor के नीचे भराई का प्रावधान क्या किया गया है भराई के प्रकार के अनुसार मात्रा का विवरण दे एवं इन समस्त प्रावधानों की उपयुक्तता पर अपनी टीप दें:

(iv) रपटा/पुलिया के अवश्यकता का क्या प्रावधान है Floor का विवरण एवं मात्रा बतलावे क्या Floor में स्थल की आवश्यकता के अनुसार स्लोप्स दिये गए हैं इस पर अपनी टिप्पणी देवे:

(v) स्थल की परिस्थितियों के अनुसार क्या Down Stream Drain Bed Protection आवश्यक है तथा क्या Down Stream Protection का प्रावधान किया गया है। Down Stream Protection का विवरण उसकी मोटाई, मोटाई की पर्याप्तता Protection की मात्रा घनमीटर में विवरण लिखे। यदि Down Stream Protection आवश्यक था परंतु प्रावधानित नहीं किया गया तो उल्लेख करें।

(vi) क्या Drain के Down Stream ठंडे के Protection की आवश्यकता स्थल की परिस्थितियों के अनुसार है एवं यदि इस Protection के लिए Wing Wall आदि का प्रावधान किया गया है तो उसका विवरण लिखे Protection की पर्याप्तता, उसकी नींव की गहराई आदि की पर्याप्तता पर स्पष्ट अभिमत लिखे।

(vii) क्या रपटा/पुलिया में यातायात सुरक्षा के लिए Wheel Guards अथवा अन्य व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, विवरण दें।

(viii) स्थल की परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के दृष्टिगत स्वीकृत किए गए प्राक्कलन की उपयुक्तता पर आपका स्पष्ट अभिमत दें।

S	SRI	U
---	-----	---

- (ix) कार्य के इस खण्ड पर आपके द्वारा दी गई गुणवत्ता ग्रेड  
 (x) यदि कार्य को RI या U ग्रेड दिया गया है तो उसका कारण स्पष्ट कर एवं कार्य को कैसे सुधारा जाए इस पर स्पष्ट टीप लिखें।

2. निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर तकनीकी Observations: स्वीकृत प्राक्कलन की तुलना में किया गया कार्य एवं गुणवत्ता पर स्पष्ट तकनीकी टीप एवं बिन्दुवार Observations नीचे अंकित किए जाएः (यदि लिखने के लिए स्थान कम हो तो अतिरिक्त शीट जोड़ें) (/)

- (i) मुख्य Wall-Up Stream एवं Down Stream दोना में (Key Walls सहित) कार्य की गुणवत्ता पर Observations:  
 a) Foundation Concrete (यदि निरीक्षण संभव हो तो):

b) नींव में Masonry/Mass Concrete (यदि निरीक्षण संभव हो तो):

c) Superstructure esa Masonry/Mass Concrete:

d) मुख्य Walls को HFL लेवल तक Drain Banks में Key करने पर Observations:

(ii) हायूम पाईप्स की गुणवत्ता तथा उनके फिक्स करने पर Observations:

(iii) पुलिया के Floor के नीचे भराई का प्रावधान क्या किया गया है भराई पर Observations:

(iv) रपटा/पुलिया के Floor एवं स्थल की आवश्यकता के अनुसार स्लोप्स पर Observations%

(v) Down Stream Drain Bed Protection की गुणवत्ता उसकी मोटाई, मोटाई की पर्याप्तता पर Observations:

(vi) Down Stream Banks के Protection के लिए Wing Walls/Retaining Structures की गुणवत्ता पर Observations:

(vii) क्या रपटा/पुलिया में यातायात सुरक्षा के लिए Wheel Guards अथवा अन्य व्यवस्था की गुणवत्ता पर Observations:

(viii) कार्य के इस खण्ड पर आपके द्वारा दी गई गुणवत्ता ग्रेड

S	SRI	U
---	-----	---

(ix) यदि कार्य को RI या U ग्रेड दिया गया है तो उसका कारण स्पष्ट कर एवं काय को कैसे सुधारा जाए इस पर स्पष्ट टीप लिखें।

3. निर्माण कार्य के मापांकन:

- (i) मापांकन की सत्यता एवं उन मापों की जांच सहायक यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा किए जाने के विषय पर बिन्दुवार Observations नीचे अंकित किए जाएः

- (ii) कार्य के इस खण्ड पर आपके द्वारा दी गई गुणवत्ता ग्रेड 

S	SRI	U
---	-----	---
- (iii) यदि कार्य को RI या U ग्रेड दिया गया है तो उसका कारण स्पष्ट करे एवं कार्य को कैसे सुधारा जाए इस पर स्पष्ट टीप लिखें।

4. निर्माण कार्य की उपयोगिता या अन्य किसी विषय पर Observations नीचे अंकित किए जाएः

- (i) कार्य के इस खण्ड पर आपके द्वारा दी गई गुणवत्ता ग्रेड 

S	SRI	U
---	-----	---
- (ii) यदि कार्य को RI या U ग्रेड दिया गया है तो उसका कारण स्पष्ट करे एवं कार्य को कैसे सुधारा जाए इस पर स्पष्ट टीप लिखें।

5. कार्य की समग्र गुणवत्ता ग्रेडिंग:

क्रमांक	मद	दी गई गुणवत्ता ग्रेडिंग
1.	प्राक्कलन की उपयुक्तता	
2.	निर्माण कार्य की गुणवत्ता	
3.	निर्माण कार्य के मापांकन	
4.	निर्माण कार्य की उपयोगिता/अन्य विषय	
	समग्र गुणवत्ता ग्रेडिंग	

हस्ताक्षर  
राज्य गुणवत्ता मानीटर  
दिनांक:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना  
स्वतंत्र राज्य गुणवत्ता मानीटर्स का निरीक्षण प्रतिवेदन—भाग 2  
निर्माण कार्य का विस्तृत निरीक्षण प्रतिवेदन—(ख) कार्य क्रमांक .....

बाढ़ नियंत्रण/भूमि संरक्षण/भूमि विकास आदि मदों के कार्य

1. स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार प्रावधान एवं Observations:

(i) निर्माण मदवार प्रावधानित कार्य का विवरण एवं मात्रा का संक्षेप:

(ii) अन्य काइ उल्लेखनाय प्रावधान ह ता सक्षप:

(iii) स्थल की परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के दृष्टिगत स्वीकृत किए गए प्राक्कलन की उपयुक्तता पर आपका स्पष्ट अभिमत दें:

(iv) कार्य के इस खण्ड पर आपके द्वारा दी गई गुणवत्ता ग्रेड

S	SRI	U
---	-----	---

(इस खण्ड की गुणवत्ता ग्रेड का निर्धारण स्वीकृत प्राक्कलन में किए गए प्रावधानों की स्थित के अनुसार उपयुक्तता के आधार पर किया जाये)

(v) यदि कार्य को RI या U ग्रेड दिया गया है तो उसका कारण स्पष्ट करें एवं कार्य को कैसे सुधारा जाए इस पर स्पष्ट टीप लिखें।

2. निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विस्तृत तकनीकी Observations:

(i) स्वीकृत प्राक्कलन की तुलना में किए गए निर्माण मदवार कार्य एवं गुणवत्ता पर स्पष्ट तकनीकी टीप एवं बिन्दुवार Observations नीचे अंकित किए जाएः (यदि लिखने के लिए स्थान कम हो तो अतिरिक्त शीट जोड़े)

S	SRI	U
---	-----	---

- (ii) कार्य के इस खण्ड पर आपके द्वारा दी गई गुणवत्ता ग्रेड
- (iii) यदि कार्य को RI या U ग्रेड दिया गया है तो उसका कारण स्पष्ट करें एवं कार्य को कैसे सुधारा जाए इस पर स्पष्ट टीप लिखें।

3. निर्माण कार्य के मापांकन: मापांकन की सत्यता एवं उन मार्फों की जांच सहायक यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा किए जाने के विषय पर बिन्दुवार Observations नीचे अंकित किए जाएः

- |   |     |   |
|---|-----|---|
| S | SRI | U |
|---|-----|---|
- (i) कार्य के इस खण्ड पर आपके द्वारा दी गई गुणवत्ता ग्रेड
- (ii) यदि कार्य को RI या U ग्रेड दिया गया है तो उसका कारण स्पष्ट करें एवं कार्य को कैसे सुधारा जाए इस पर स्पष्ट टीप लिखें।

4. निर्माण कार्य की उपयोगिता या अन्य किसी विषय पर Observations नीचे अंकित किए जाएः

- (i) कार्य के इस खण्ड पर आपके द्वारा दी गई गुणवत्ता ग्रेड 

S	SRI	U
---	-----	---
- (ii) यदि कार्य को RI या U ग्रेड दिया गया है तो उसका कारण स्पष्ट कर एवं कार्य को कैसे सुधारा जाए इस पर स्पष्ट टीप लिखें।

5. कार्य की समग्र गुणवत्ता ग्रेडिंग:

क्रमांक	मद	दी गई गुणवत्ता ग्रेडिंग
1.	प्राक्कलन की उपयुक्तता	
2.	निर्माण कार्य की गुणवत्ता	
3.	निर्माण कार्य के मापांकन	
4.	निर्माण कार्य की उपयोगिता/अन्य विषय	
	समग्र गुणवत्ता ग्रेडिंग	

हस्ताक्षर  
राज्य गुणवत्ता मानीटर  
दिनांक:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

स्वतंत्र राज्य गुणवत्ता मानीटर्स भ्रमण का संक्षेप

मॉनीटर का नाम: [.....]

निरीक्षण के दिनांक: [DD MM YY] से [DD MM YY] तक

जिला: [.....]

1. ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा योजना की कार्यान्वयन गुणवत्ता का संक्षेप:

अनुक्रमांक	पंचायत का नाम	कार्यक्रम कार्यान्वयन गुणवत्ता ग्रेड

2. निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का संक्षेप:

कार्य क्रमांक	पंचायत का नाम	कार्य का नाम	गुणवत्ता ग्रेड

3. उल्लेखनीय विवरण (यादि कोई है तो):

हस्ताक्षर एवं विवरण  
राज्य गुणवत्ता मानीटर  
दिनांक: